सूचना अधिकार अधिनियम

अध्याय–1

प्रस्तावनाः–

1.1 राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 15.06.2005 से प्रभावी हो गया है। एवं उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 12,13,15,16,24,27,28, की उपधाराएं (1) एवं (2) तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गयी है। उक्त अधिनियम द्वारा जहां प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार दिया गया है। वहीं राज्य के समक्ष अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा किये जा रहे राजकीय कार्य में पारदर्शिता लाने एवं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने की व्यवस्था की गयी है। अतः इसका सफल कियान्वयन हम सबकी जिम्मेदारी है एवं वक्त की आवश्यकता है।

1.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आम जनता को शासन में विभिन्न स्तरों पर लिये जाने वाले निर्णयों एवं विभिन्न विभागों में कियान्वित की जा रही जन उपयोगी कार्यों के कियान्वयन की प्रकिया की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

1.3 वन विभाग राजस्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है जो राज्य में वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वन भूमि, पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण एवं पौधों का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, चिडियाघर एवं बायोलोजिकल पार्कस का प्रबंध एवं परिपक्व वृक्षारोपणों व बांस उत्पादक वनों में वर्किंग प्लान के प्रावधानों के अनुरूप वन उपज विदोहन का कार्य भी वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

1.4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की पुस्तिका का प्रारूप इस प्रकार का रखा गया है कि इसमें विभाग से संबंधित सूचनाऐं एक स्थान पर ही मिल जाये या जो सूचनाऐं पुस्तिका में उपलब्ध नही हैं उनके स्त्रोत के बारे में पता चल जावे। पुस्तिका के प्रारंभ में विभाग के बारे में संक्षिप्त परिचय, विभाग के मुख्य कार्य, सेवाओं विभाग का संगठनात्मक ढांचा, विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों के कर्तव्य एवं शक्तियां, शक्तियों के निर्वहन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदत्त अधिकार, इसके अतिरिक्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका एवं अभिलेख आदि का विवरण विभाग में नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से पारामर्श के लिये बनाई गयी व्यवस्था का विवरण, विभाग में पदस्थापित विभिन्न अधिकारीगण के पास उपलब्ध दस्तावेल विभाग में बोर्ड, परिषद्, समिति एवं अन्य निकायों का विवरण, लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां, निर्णय लेने की प्रकिया, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी निर्देश, विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक एवं उसके निर्धारण की पद्धति, बजट, अनुदान/राजसहायता कार्यकमों के कियान्वयन की रीति, विभाग द्वारा आम जनता/व्यक्तियों को दी जा रही रियायतें, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकरणों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण, राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के कृत्यों के निर्वहन हेतु स्थापित मानक/नियम, विभाग द्वारा संधारित की जा रही बेबसाईट पर उपलब्ध सूचना, सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण इत्यादि जानकारियाँ प्रस्तुत की जा रहीं हैं।

1.5 वन विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही सूचना पुस्तिका में समायोजित विषयों कें संबंध में सूचना स्त्रोत की जानकारी मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) एवं नोडल अधिकारी सूचना अधिकार कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन भवन, जयपुर से प्राप्त की जा सकती है।

वन विभाग द्वारा यह प्रयास किया गया है कि जहां तक संभव हो विभाग से संबंधित समस्त सूचनायें, सूचना पुस्तिका में उपलब्ध हो परंतु इसके अतिरिक्त भी विभाग से संबंधित कई ऐसी सूचनाऐं हैं जो मुख्यालय स्तर पर संधरित नहीं की जाती हैं (इनका विवरण आगामी पृष्ठों पर दिया जावेगा)। उक्त अतिरिक्त सूचनायें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नियमानुसार संबंधित लोक सूचना अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है।

1.6 हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिये संपर्क व्यक्ति।

क्रम संख्या	स्तर जहां सूचना प्राप्त हो सकती है	अधिकारी का पदनाम	कार्यालय का नाम
1	रेंज स्तर	क्षेत्रीय वन अधिकारी	संबंधित रेंज कार्यालय
2	मंडल स्तर	उप वन संरक्षक	उप वन संरक्षक कार्यालय
3	वृत्त स्तर	वन संरक्षक	वन संरक्षक कार्यालय
4	संभाग स्तर	मुख्य वन संरक्षक	मु.व.सं. कार्यालय
5	राज्य स्तर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्र.मु.व.सं. कार्यालय

1.7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने को विधि एवं शुल्क।

- लोक सूचना अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक को रू. 10/– की फीस के साथ आवेदन देना होगा।
- आभेलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे कोई फीस नहीं है। इसे अतिरिक्त प्रत्येक 15 मिनिट या उसके भाग के लिए 5/– देय होंगे।
- अभिलेखों की प्रतिलिपि (ए 4 या ए 3 आकार) रू. 2/– प्रति पृष्ठ,
- बड़े आकार में पृष्ठ के लिए प्रतिलिपि के वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत,
- सेंपल या मॉडल के लिए उसकी वास्तविक लागत कीमत,
- डिसस्क या फ्लॉपी में सूचना हेतु रू. 50/– फ्लॉपी या डिस्क,
- मुद्रित सूचना के लिए नियम मूल्य या प्रकाशन के उद्धरणों की प्रति पृष्ठ फोटों के लिए 2/– देय होंगे।

शुल्क राशि नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक अथवा भारतीय पोस्ट आर्डर के रूप में जमा करायी जा सकती है।